76

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

II/पुनर्विलोकन/मुरैना/भू.रा/2018/0842

प्रकरण क्रं.   /2018 पुर्नविलोकन

1– सतेन्द्रसिंह आयु 48 वर्ष

2– शिवनाथसिंह आयु 45 वर्ष

3– प्रबलप्रतापसिंह आयु 43 वर्ष

पुत्रगण स्व0 श्री सोवरनसिंह जाति गुर्जर ठाकुर निवासीगण गणेशपुरा, मुरैना तहसील व जिला मुरैंना (म. प्र.)..............................आवेदकगण

विरूद्ध

म. प्र. शासन.......................अनावेदक

पुर्नविलोकन विरूद्ध आदेश दिनांक 15/11/2017 न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सदस्य श्री एस. एस. अली प्रकरण क्रमांक 3183–एक/2014 अंतर्गत धारा 51 म. प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

पुर्नविलोकन आवेदन आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित प्रस्तुत है:–

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो/पुर्नावलोकन/मुरैना/भूरा/2018/0842

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
25_06_18	आवेदक अधिवक्ता श्री एम0 पी0 भटनागर उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 3183–एक/14 में पारित आदेश दिनांक 15.11.17 के विरूद्व प्रस्तुत प्रकरण कमांक दो/पुर्नावलोकन/मुरैना/भूरा/2018/0842 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण निगरानी 3183–एक/14 में वर्णित है। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 10.11.17 से किया जा चुका है। 4 पकरण कमांक दो/पुर्नावलोकन/मुरैना/भूरा/2018/0842 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में	

पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं। प्रकरण कमांक दो/पुर्नावलोकन/मुरैना/भूरा/2018/0842 उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:-

अ- नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब- अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स- कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य